इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2014—ज्येष्ठ 9, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2014

क्र. एफ 1(ए) 55-1994-ब-2-दो.—श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आर एण्ड डी एवं पुलिस मैन्युअल), पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 16 से 28 जून 2014 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 14, 15 एवं 29 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ तवांग (अरूणाचल प्रदेश) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री बी. बी. एस. ठाकुर—स्वयं
2. श्रीमती दुर्गा ठाकुर—पत्नी
3. राहुल ठाकुर—पुत्र
4. गौरव ठाकुर—पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण / समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (आर एण्ड डी एवं पुलिस मैन्युअल), पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आर एण्ड डी एवं पुलिस मैन्युअल), पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आर एण्ड डी एवं पुलिस मैन्युअल), पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 76-2011-ब-2-दो.—श्री पी. एस. विष्ट, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, गुना को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 702/14, दिनांक 6 मई 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 29 मई से 7 जून 2014 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश, की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ तिरूपती जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री पी. एस. विष्ट—स्वयं
2. श्रीमती मीनाक्षी विष्ट—पत्नी.

क्र. एफ 1(ए) 92-2001-ब-2-दो.—श्री जी. पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 फरवरी से 29 मार्च 2014 तक, कुल तीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश काल में श्री जी. पी. उईके, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. उईके, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 129-2011-ब-2-दो.—श्री अमित सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ को दिनांक 22 मई से 5 जून 2014 तक, पन्द्रह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करते हुए, अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम वर्ष 2014 में गृह नगर यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री अमित सिंह—स्वयं
2. श्रीमती प्रज्ञा सिंह—पत्नी
3. प्रज्ञान सिंह—पुत्र.

क्र. एफ 1(ए) 147-90-ब-2-दो.—श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 मई से 4 जून 2014 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17 एवं 18 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री संजय तिवारी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), एस.टी.एफ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 199-1991-ब-2-दो.—श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 से 31 मई 2014 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अनिल गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पी.टी.आर.आई., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बने रहतीं.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2014

क्र. एफ 1(ए) 254-1988-ब-2-दो.—श्री संजय राणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 एवं 25 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री संजय राणा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पी. डी. खैरा, मुख्य परियोजना यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय राणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री संजय राणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2014

क्र. एफ 1(ए) 128-2011-ब-2-दो.—श्री नवनीत भसीन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सीधी को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 15 मई 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 24 से 31 मई 2014 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् सपत्नीक श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री नवनीत भसीन—स्वयं
2. श्रीमती शुभांगी भसीन—पत्नी.

क्र. एफ 1(ए) 217-1991-ब-2-दो.—डॉ. डी. एस. सेंगर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में सपत्नीक गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् तवांग (अरूणाचल प्रदेश) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. डॉ. डी. एस. सेंगर—स्वयं
2. श्रीमती रीता सेंगर—पत्नी

(2) उक्त यात्रा हेतु डॉ. डी. एस. सेंगर, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण / समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर डॉ. डी. एस. सेंगर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) डॉ. डी. एस. सेंगर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में डॉ. डी. एस. सेंगर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. डी. एस. सेंगर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 मई 2014

फा. क्र. 17(ई)523-2013-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)414-418-2008-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 14 अगस्त 2008 के द्वारा तहसील मझौली, जिला सीधी में नोटरी के पद पर श्री गुलाब प्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता की नियुक्ति के परिणामस्वरूप जारी नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण विभागीय आदेश क्रमांक 17(ई)523-2013-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 5 मार्च 2014 के द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2014 से 2 फरवरी 2019 तक की अवधि के लिये किया गया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 13798/08 (श्रीमती माया द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं एक अन्य) में पारित आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 2013 के अनुसार इस विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)414-418-2008-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 14 अगस्त 2008 को अपास्त किया गया था. परिणामस्वरूप श्री गुलाब प्रसाद चतुर्वेदी के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के आदेश क्रमांक 17(ई)523-2013-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 5 मार्च 2014 को, एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2014

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.

उच्च न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2014

फा. क्र. 3(ए)5-2013-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुश्री मेरी मारग्रेट फ्रांसिस, पिता श्री फ्रांसिस जेवियर को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथा संशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 है, में नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि प्रस्तुत अभिलेख अनुसार 18 मई, 1977 है.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक) 1153-14.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 नवम्बर 2009 को, आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री अमिताभ मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल को, जिनका मुख्यालय, भोपाल होगा, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों तथा दिल्ली पुलिस या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गये अन्य समस्त अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट

किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, यथा :—

राजस्व जिले

(1) ग्वालियर, (2) गुना, (3) शिवपुरी, (4) छतरपुर, (5) दतिया, (6) अशोकनगर, (7) भिण्ड.

F. N. 1-5-96-XXI-B(One)-1158-14.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this department's Notification F. N. 1-5-96-XXI-B(One), dated 7th November, 2009, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoint Shri Amitabh Mishra, Additional Sessions Judge, Bhopal, as Special Judge with Headquarter at Bhopal for the areas comprising the Revanue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police or Central Bureau of Investigation, namely :—

Revenue Districts

(1) Gwalior, (2) Guna, (3) Shivpuri, (4) Chhatarpur, (5) Datia, (6) Ashoknagar, (7) Bhind.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक) 1158-14.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक)-4211-13, दिनांक 30 अक्टूबर 2013 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में, दिनांक 8 नवम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री रमाशंकर शर्मा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर को, जिनका मुख्यालय, इन्दौर होगा, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों तथा दिल्ली पुलिस या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गये अन्य समस्त अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, यथा :—

राजस्व जिले

(1) धार, (2) रतलाम, (3) झाबुआ, (4) मंदसौर, (5) पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर), (6) उज्जैन, (7) देवास, (8) शाजापुर, (9) पू. निमाड़ (खण्डवा), (10) नीमच, (11) बड़वानी, (12) अलीराजपुर, (13) बुरहानपुर.

F. N. 1-5-96-XXI-B(One)-1158-14.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this department's Notification F. N. 1-5-96-XXI-B(One)-4211-13, dated 30th October, 2013, with was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, Dated 8th November 2013, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoint Shri Rama Shankar Sharma, IIIrd Additional Sessions Judge, Indore, as a Special Judge with Headquarter at Indore for the areas comprising the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police or Central Bureau of Investigation, namely :—

Revenue Districts

(1) Dhar, (2) Ratlam, (3) Jhabua, (4) Mandsaur, (5) West Nimar (Mandleshwar), (6) Ujjain, (7) Dewas, (8) Shajapur, (9) East Nimar (Khandwa), (10) Neemuch, (11) Barwani, (12) Alirajpur (13) Burhanpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 21 मई 2014

क्र. एफ-3-136-2012-बत्तीस.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभागीय सूचना क्रमांक एफ-3-136-2012-बत्तीस, दिनांक 2 जुलाई 2013 को जारी की गई थी उक्त सूचना के उपांतरण विवरण में योग—5.568 हेक्टेयर के स्थान पर त्रुटिवश 7.29 हेक्टेयर अंकित हो गया है. अत: उक्त सूचना के उपांतरण विवरण के योग को 5.568 हेक्टेयर पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2014

क्र. एफ-3-36-2006-3-जेल.—राज्य शासन, प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा 3 (1) सहपठित धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तृतीय चरण में जिला मुख्यालय स्थित उप जेल विदिशा, खरगौन, रायसेन, मण्डला, कटनी एवं नीमच को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2014

क्र. एफ-3-86-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित), 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-86-2013-बत्तीस, दिनांक 1 फरवरी 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम पुरवा	865/5 का अंश	25	कृषि	औद्योगिक (सूचना प्रौद्योगिकी).
		योग . .	25		

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत, जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ-67-123-10-तीन-931.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल** के आम निर्वाचन में **श्रीमती मनोज जैन, महापौर** पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पत्र क्र. 7471-स्था.निर्वा.-10 दिनांक 6 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती मनोज जैन** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा अपूर्ण दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा अपूर्ण प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल को निर्देशित किया गया कि वह जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी कर लेखों को पूर्ण करवाए. जिला स्तर पर **श्रीमती मनोज जैन** को निर्वाचन व्यय पूर्ण करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया.

आयोग द्वारा **श्रीमती मनोज जैन** को जिला स्तर पर जारी सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि में अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण किया गया कि नहीं के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2010 एवं 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती मनोज जैन** ने अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखों को पूर्ण नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती मनोज जैन** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया, अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं. जबकि अभ्यर्थी **सुश्री मनोज जैन** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली दिनांक 14 मार्च, 2014 को विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मनोज जैन** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम, भोपाल, जिला भोपाल** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ-67-123-10-तीन-932.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सईदा अंसारी, महापौर** पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पत्र क्र. 7471-स्था.निर्वा.-10 दिनांक 6 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सईदा अंसारी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा अपूर्ण दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सईदा अंसारी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस से सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती सईदा अंसारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 5 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा **सुश्री सईदा अंसारी** को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2010 एवं दिनांक 1 जनवरी, 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **सुश्री सईदा अंसारी** ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री सईदा अंसारी** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी **सुश्री सईदा अंसारी** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 4 मार्च, 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 14 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सईदा अंसारी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम, भोपाल, जिला भोपाल** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ-67-123-10-तीन-933.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सुमन तिवारी, महापौर** पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पत्र क्र. 7471-स्था.निर्वा.-10 दिनांक 6 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सुमन तिवारी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सुमन तिवारी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती सुमन तिवारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 अप्रैल, 2010 उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. से प्रेषित किया गया था. कारण बताओ नोटिस के प्राप्ति दिनांक से **सुश्री सुमन तिवारी** को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला

निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2010 एवं दिनांक 1 जनवरी, 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **सुश्री सुमन तिवारी** ने कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में की कोई उत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री सुमन तिवारी** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी **सुश्री सुमन तिवारी** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सुमन तिवारी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम, भोपाल, जिला भोपाल** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ-67-124-10-तीन-935.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल** के आम निर्वाचन में **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पत्र दिनांक 13 मई, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा अपूर्ण दाखिल किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा अपूर्ण प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 5 जून, 2010 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल को निर्देशित किया गया कि वह जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी कर लेखों को पूर्ण करवाए. जिला स्तर पर **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** को दिनांक 15 जून, 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, जिसमें **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** को सूचना के प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण करना चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर त्रुटियों का निराकरण न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जावेगा.

आयोग द्वारा **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** को जिला स्तर पर जारी सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि में अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण किया गया कि नहीं के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी, 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** ने अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे को पूर्ण नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं, जबकि अभ्यर्थी **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 4 मार्च, 2014 को उनके पति द्वारा तामील की जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया, जिसे पूर्ण नहीं किया गया, जबकि जिला स्तर पर अभ्यर्थी **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** को दिनांक 15 जून, 2010 को निर्वाचन व्यय पूर्ण करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, जिसमें **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** को सूचना पत्र के प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण करना चाहा गया था. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ-67-124-10-तीन-936.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पत्र दिनांक 13 मई, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विलंब एवं अपूर्ण दाखिल किया गया.

विलम्ब से एवं अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 जून, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती सुनीता फत्तूलाल का कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2010 को उनके देवर (तत्समय देवर की उम्र 31 वर्ष थी) को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 30 जुलाई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी, 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** ने विलम्ब के संबंध कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया, न ही अपूर्ण व्यय लेखों को पूर्ण किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 5 मार्च, 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सुनीता फत्तूलाल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ. 67-124-10-तीन-937.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल** के आम निर्वाचन में **श्रीमती शाहीन समी अफसर** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **भोपाल** के पत्र दिनांक 13 मई, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती शाहीन समी अफसर** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती शाहीन समी अफसर** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 जून, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **श्रीमती शाहीन समी अफसर** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती शाहीन समी अफसर का कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2010 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अत: उनको दिनांक 30 जुलाई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती शाहीन समी अफसर** को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी, 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती शाहीन समी अफसर** ने निर्वाचन व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती शाहीन समी अफसर** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी **श्रीमती शाहीन समी अफसर** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 4 मार्च, 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती शाहीन समी अफसर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ-67-44-10-तीन-945.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् मुंगावली, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 फरवरी, 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** को नोटिस दिनांक 23 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 10 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 में प्रतिवेदित है कि—"अभ्यर्थी **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** ने कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी के विरुद्ध नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा."

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 5 अप्रैल, 2014 को कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री सुरेन्द्र रघुवंशी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, मुंगावली,**

जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ-67-44-10-तीन-946.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् मुंगावली, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री रविन्द्र पाठक** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, **श्री रविन्द्र पाठक** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री रविन्द्र पाठक** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रविन्द्र पाठक को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 फरवरी, 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री रविन्द्र पाठक** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री रविन्द्र पाठक** को नोटिस दिनांक 23 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 में प्रतिवेदित है कि—''अभ्यर्थी **श्री रविन्द्र पाठक** ने कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी के विरुद्ध नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री रविन्द्र पाठक** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 5 अप्रैल, 2014 को कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री रविन्द्र पाठक** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री रविन्द्र पाठक** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री रविन्द्र पाठक** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, मुंगावली, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ. 67-44-10-तीन-947.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् मुंगावली, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 फरवरी, 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** के पुत्र श्री उमाशंकर अहिरवार को नोटिस दिनांक 23 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 में प्रतिवेदित है कि—''अभ्यर्थी **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** ने कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी के विरुद्ध नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 5 अप्रैल, 2014 को कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री बलराम अहिरवार (बल्ला)** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद, मुंगावली, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ. 67-44-10-तीन-948.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् मुंगावली, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 फरवरी, 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था, कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** के पुत्र श्री इन्साफ अहमद को नोटिस दिनांक 25 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 12 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 में प्रतिवेदित है कि—"अभ्यर्थी **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** ने कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी के विरुद्ध नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा."

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 5 अप्रैल, 2014 को कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री औसाफ अहमद कुर्रेशी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, मुंगावली, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ. 67-44-10-तीन-949.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् मुंगावली, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री बंटी राय** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, **श्री बंटी राय** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री बंटी राय** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री बंटी राय** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 फरवरी, 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री बंटी राय** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री बंटी राय** के पिता श्री चिरोंजीलाल राय को नोटिस दिनांक 4 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 में प्रतिवेदित है कि—"अभ्यर्थी **श्री बंटी राय** ने कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी के विरुद्ध नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा."

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री बंटी राय** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 5 अप्रैल, 2014 को कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री बंटी राय** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री बंटी राय** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री बंटी राय** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, मुंगावली, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ. 67-44-10-तीन-950.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह

निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् मुंगावली, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, **अशोकनगर** के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 फरवरी, 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** के पिता को नोटिस दिनांक 28 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 15 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 में प्रतिवेदित है कि—''अभ्यर्थी **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** ने कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी के विरुद्ध नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 28 मार्च, 2014 को कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री रफीकउद्दीन (बब्लू)** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, मुंगावली, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 15 मई 2014

क्र. ब.श्र.प्र.समा.-सर्त.समि.-जिश्रसी-2014—बंधक श्रमिक प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में

विहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिये किया जाता है.

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, सीधी, जिला सीधी के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नानुसार है :—

13(2)(क)		जिला मजिस्ट्रेट, सीधी	अध्यक्ष
13(2)(ख)	1.	श्री गेन्दलाल कोल, नगरपालिका पार्षद, सीधी.	सदस्य
	2.	श्री केमला प्रसाद प्रजापति, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, सीधी.	सदस्य
	3.	श्री अध्यक्ष, जनपद पंचायत, सीधी	सदस्य
13(2)(ग)	1.	श्री अध्यक्ष, जनपद पंचायत, कुसमी	सदस्य
	2.	श्री राजेश मिश्रा, अधिवक्ता, पटेल पुल, सीधी.	सदस्य
13(2)(घ)	1.	पुलिस अधीक्षक, सीधी	सदस्य
	2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी.	सदस्य
	3.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, सीधी.	सदस्य
13(2)(ङ)	1.	प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी बैंक, सीधी.	सदस्य
	2.	प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, सीधी.	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, गोपद बनास, जिला सीधी

1 13	3(क)	श्री शैलेन्द्र सिंह, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीधी.	अध्यक्ष
2	3(ख)	1. श्री प्रदीप साकेत, दक्षिण करौदिया सीधी, सदस्य अजा.	सदस्य
3		2. श्री उपेन्द्र सिंह मरकाम, गोपालदास रोड, सीधी.	सदस्य
4		3. श्रीमती रामकली सिंह, सदस्य, जिला पंचायत, सीधी (महिला) अजजा.	सदस्य
5	3(ग)	1. श्री नीरज कुन्देर, गोपालदास रोड दक्षिण करौदिया, सीधी, सामाजिक कार्यकर्ता.	सदस्य
6		2. सुश्री आरती यादव, नया बस स्टैण्ड, पानी टंकी के पास, सीधी, सामाजिक कार्यकर्ता.	सदस्य
7	3(घ)	1. श्री महेश कुमार कुशवाह, ए.पी.ओ. जन. पंचा., सीधी.	सदस्य
8		2. श्री लालजी मीणा, सहायक आयुक्त, आदि. वि., सीधी.	सदस्य
9		3. श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, डी.पी.ओ. महिला बाल विकास.	सदस्य
10	3(ङ)	1. श्री बीरेन्द्र प्रसाद, शाखा प्रबंधक, यू.बी.आई. कले. कैम्पस, सीधी.	सदस्य
11	3(च)	1. श्री जे. पी. यादव, तहसीलदार, तहसील-गोपाल बनास, सीधी.	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)

1 13	3(क)	श्री शैलेन्द्र सिंह, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिहावल.	अध्यक्ष
2	3(ख)	1. श्री छोटेलाल कोल, जनपद सदस्य (अजजा).	सदस्य
3		2. श्रीमती राजकली, जनपद पंचायत, सिहावल.	सदस्य
4		3. श्रीमती सीताकली (महिला) अ.जा.	सदस्य
5	3(ग)	1. श्री उपेन्द्र सिंह मरकाम, गोपालदास रोड, दक्षिण करौदिया, सीधी.	सदस्य
6		2. सुश्री नेहा तिवारी, पानी टंकी के पास, नया बस स्टैण्ड, सीधी, सामाजिक कार्यकर्ता.	सदस्य
7	3(घ)	1. श्रीमती मंजुला तिग्गा, सुपरवाईजर, सिहावल.	सदस्य
8		2. श्री सुभाष शर्मा, सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, सिहावल.	सदस्य
9		3. श्री रामनिवास चौधरी, तहसीलदार, बहरी.	सदस्य
10	3(ङ)	1. श्री बीरेन्द्र प्रसाद, शाखा प्रबंधक, यू.बी.आई., हिनौती.	सदस्य
11	3(च)	1. श्री अजेय लाल चौधरी, तहसीलदार, सिहावल.	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, चुरहट / रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)

1 13	3(क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चुरहट / रामपुर नैकिन.	अध्यक्ष
2	3(ख)	1. श्री ददुआ कोल पिता ददुल्ले कोल, पटपरा.	सदस्य

3		2. श्री शोभनाथ साकेत पिता श्री छोटेलाल साकेत, कंधवार.	सदस्य
4		3. श्रीमती लल्ली पत्नी श्री गणेश साकेत, चुरहट.	सदस्य
5	3(ग)	1. श्री रमाकान्त पाण्डेय पिता श्री मिथिला प्रसाद पाण्डेय.	सदस्य
6		2. श्री रोहिणी प्रसाद शर्मा पिता श्री रामावतार शर्मा, वार्ड 15, रामपुर नैकिन.	सदस्य
7	3(घ)	1. तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन	सदस्य
8		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रामपुर नैकिन.	सदस्य
9		3. श्री एच. एल. कोरी, श्रम निरीक्षक, श्रम पदाधिकारी, सीधी.	सदस्य
10	3(ङ)	1. शाखा प्रबंधक, जिला केन्द्रीय सह. बैंक, शाखा चुरहट.	सदस्य
11	3(च)	1. तहसीलदार, चुरहट	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, कुसमी, जिला सीधी
(म.प्र.)

1 13	3(क)	श्री एम. पी. बरार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुसमी.	अध्यक्ष
2	3(ख)	1. श्री भगवान सिंह, ग्राम-गोलीपहरी, पो.-जूरी, अजा/अजजा.	सदस्य
3		2. श्री भद्दू बैगा, ग्राम-हर्रई, पो.-भुईमाड, अजा/अजजा.	सदस्य
4		3. श्रीमती जमुनी देवी, ग्राम व पो.-टमसार, महिला अजजा.	सदस्य
5	3(ग)	1. श्री लल्लू सिंह, ग्राम-बडवाही, पो.-कुसमी, सामाजिक कार्यकर्ता.	सदस्य
6		2. श्री भानू सिंह, ग्राम-जूरी, पो.-जूरी, सामाजिक कार्यकर्ता.	सदस्य
7	3(घ)	1. श्री जे. एल. शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधि., जन. पंचा., कुसमी शास.	सदस्य
8		2. श्री पी. डी. गुप्ता, विकासखण्ड अधिकारी शासकीय.	सदस्य
9		3. श्री अमित कुमार सोनी, पशु चिकि. विस्तार अधि., कुसमी.	सदस्य
10	3(ङ)	1. शाखा प्रबंधक, यू.बी.आई., शाखा कुसमी.	सदस्य
11	3(च)	1. श्री जीतेन्द्र वर्मा, तहसीलदार, तहसील कुसमी.	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, मझौली, जिला सीधी
(म.प्र.)

1 13	3(क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मझौली	अध्यक्ष
2	3(ख)	1. श्री राममणि पिता श्री बसंत चमार, सा. भैसवाही, तहसील मझौली.	सदस्य
3		2. श्री ददवा बैगा पिता श्री दुलारे बैगा, सा. सेमरिहा, तहसील मझौली.	सदस्य
4		3. श्री मोतीलाल सिंह पिता श्री पियारे सिंह गोड, सा. चुवाही, तह. मझौली.	सदस्य
5	3(ग)	1. श्री रमेश शर्मा, एडवोकेट, सा. सिरौली, तहसील मझौली.	सदस्य
6		2. श्रीमती माया द्विवेदी, एडवोकेट, सा. चुवाही, तहसील मझौली.	सदस्य
7	3(घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मझौली.	सदस्य
8		2. परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास परियोजना, मझौली	सदस्य
9		3. श्री आर. एस. प्रजापति, श्रम निरीक्षक, श्रम पदाधिकारी कार्या., सीधी.	सदस्य
10	3(ङ)	1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मझौली.	सदस्य
11	3(च)	1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मझौली.	सदस्य

स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 23 मई 2014

(प्रारंभिक सूचना)

क्र. अ-82-2012-13-356.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में रामगढ़ तालाब योजना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास की नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम - कचनारिया, तहसील - सोनकच्छ

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निजी भूमि नहर निर्माण में	0.63	0.03	0.66
	कुल योग :	**0.63**	**0.03**	**0.66**

रामगढ़ तालाब योजना

ग्राम - कचनारिया, तहसील - सोनकच्छ, जिला - देवास

अनुसूची (2)

नहर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	भीमसिंह पिता तकतसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. चांदाखेड़ी, भूमि स्वामी भू-राजस्व.	5	0.230	–	0.03	0.03
		11	1.810	0.18	–	0.18
2.	ज्ञानसिंह पिता जगन्नाथसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. चांदाखेड़ी, भूमि स्वामी भू-राजस्व.	9	0.620	0.17	–	0.17
3.	मनोहरसिंह सुमेरसिंह राजेन्द्रसिंह पि. फुलसिंह घीसीबाई वि. फुलसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. चांदाखेड़ी, भूमि स्वामी भू-राजस्व.	12	0.770	0.06	–	0.06
4.	हीरसिंह मानसिंह ज्ञानसिंह पिता जगन्नाथसिंह व अमृतबाई वि जगन्नाथसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. चांदाखेड़ी, भूमि स्वामी भू-राजस्व.	32	1.910	0.20	–	0.20
		34	0.050	0.02	–	0.02
		कुल योग :	**5.39**	**0.63**	**0.03**	**0.66**

(प्रारंभिक सूचना)

क्र. अ-82-2012-13-363.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में रामगढ़ तालाब योजना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास की नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की

अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम - उमरिया, तहसील - सोनकच्छ

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निजी भूमि नहर निर्माण में.	1.24	0.36	1.60
	कुल योग :	**1.24**	**0.36**	**1.60**

रामगढ़ तालाब योजना

ग्राम - उमरिया, तहसील - सोनकच्छ, जिला - देवास

अनुसूची (2)

नहर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	हरिसिंह मानसिंह ज्ञानसिंह पिता जगन्नाथसिंह अमृतबाई बेवा जगन्नाथसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम चांदाखेड़ी, भूमिस्वामी.	14	0.450	–	0.05	0.05
		15	0.600	–	0.05	0.05
		16	0.950	0.13	–	0.13
2.	विजेन्द्रसिंह पि. भीमसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम चांदाखेड़ी, भूमिस्वामी भू-राजस्व.	18	1.410	0.08	–	0.08
3.	रामप्रसाद पि. सेवाराम, जाति बलाई, पता नि. ग्राम चांदाखेड़ी, भूमिस्वामी.	21	1.430	0.15	–	0.15
		34	0.390	0.09	–	0.09
		36	0.250	0.04	–	0.04
		37	0.100	0.03	–	0.03
4.	नरबतसिंह पिता दरियावसिंह, रामसिंह पिता हरनाथसिंह पिता हरनाथसिंह, जाति सेंधव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	123	0.460	0.07	–	0.07
5.	बिन्दबाई बेवा शेरसिंह फुलसिंह पि. पूणसिंह सोभालसिंह पि. जगन्नाथ घीसीबाई वि. पूरणसिंह जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	124	0.550	–	0.12	0.12
6.	फुलकुंवरबाई पति तकतसिंह जाति सेन्धव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	125/1	0.360	–	0.03	0.03
7.	तकतसिंह पिता उमरावसिंह, जाति सेन्धव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	125/2	0.040	–	0.02	0.02
8.	कैलाश पैलाद पि. नारायण जलबाई बेवा नारायण, जाति गुसाई, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	126	0.250	0.06	–	0.06
9.	लताबाई पति गंगाराम, जाति गुसाई, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	127	0.180	0.03	–	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	तकतसिंह, दिलीपसिंह पिता सेवा, जाति बलाई, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	166	0.650	0.05	–	0.05
		167	0.850	0.19	–	0.19
		174	0.580	0.14	–	0.14
11.	मिट्ठुबाई बेवा सजनसिंह, जाति सेंधव, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	168/1	0.400	–	0.09	0.09
		182	0.450	0.01	–	0.01
12.	लीलाबाई पति दिलीपसिंह, जाति बलाई, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	168/2	0.800	0.08	–	0.08
13.	देवा पिता पुना, जाति बलाई, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	173	0.630	0.02	–	0.02
14.	बिन्दुबाई बेवा शेरसिंह फूलसिंह पि. पूरणसिंह सोभालसिंह पि. जगन्नाथ, घीसाबाई वि. पूरणसिंह, जाति सेन्धव, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	181	1.050	0.07	–	0.07
	कुल योग :		**12.83**	**1.24**	**0.36**	**1.60**

(प्रारंभिक अधिसूचना)

क्र. अ-82-2012-13-370.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में रामगढ़ तालाब योजना, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास की नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम - कोदापुरा, तहसील - सोनकच्छ

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निजी भूमि नहर निर्माण में.	1.36	0.00	1.36
	कुल योग :	**1.36**	**0.00**	**1.36**

रामगढ़ तालाब योजना

तहसील - हाटपिपल्या, ग्राम - कोदापुरा, तहसील - सोनकच्छ, जिला - देवास

अनुसूची (2)

नहर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मानसिंह सुमेरसिंह सुगनबाई, बेगमबाई, अनिताबाई, संगीताबाई पि. कल्याणसिंह राजलबाई बे कल्याण, जाति सेन्धो, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	181/1	0.730	0.08	–	0.08
2.	राजलबाई बेवा कल्याणसिंह, जाति सेन्धो, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	181/2	0.370	0.08	–	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	इन्दरसिंह पिता रतनसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	205	0.860	0.03	–	0.03
4.	बोन्दीबाई पिता उमरावसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	296	0.200	0.04	–	0.04
5.	मेताबबाई वि. उमरावसिंह सिद्धुसिंह पि. उमरावसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	297	0.220	0.04	–	0.04
		302	0.940	0.11	–	0.11
6.	तेजसिंह, सजनसिंह, मानसिंह पिता भागीरथ, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	303	0.530	0.05	–	0.05
		305	0.410	0.03	–	0.03
7.	घीसा पिता नरबतसिंह हि. 1/2 चन्दरसिंह, बहादुरसिंह पिता भेरूसिंह राजलबाई वि. भेरूसिंह हि. 1/2 जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	321	0.890	0.15	–	0.15
8.	जसपालसिंह पिता जीवनसिंह, जाति सेंधव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	336	0.410	0.03	–	0.03
		338/1	0.880	0.06	–	0.06
9.	विजेन्द्रसिंह पिता जीवनसिंह, जाति सेंधव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	338/2	1.140	0.06	–	0.06
10.	चन्दरसिंह, बहादुरसिंह पिता भेरूसिंह, राजलबाई बेवा भेरूसिंह, जाति सेंधव, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	349	0.690	0.10	–	0.10
		350	1.130	0.24	–	0.24
11.	कृपालसिंह पिता बलवंतसिंह, जाति सेन्धो, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	356	0.580	0.14	–	0.14
12.	रायसिंह, भादरसिंह, ईन्दरसिंह, मनोहरसिंह पि. कालुसिंह घीसीबाई बे कालुसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	360	1.160	0.12	–	0.12
	कुल योग :		**11.14**	**1.36**	**0.00**	**1.36**

(प्रारंभिक सूचना)

क्र. अ-82-2012-13-377.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में रामगढ़ तालाब योजना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास की नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम - चांदाखेड़ी, तहसील - सोनकच्छ

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निजी भूमि नहर निर्माण में.	0.91	0.21	1.05
	कुल योग :	**0.91**	**0.21**	**1.05**

रामगढ़ तालाब योजना

ग्राम - चांदाखेड़ी, तहसील - सोनकच्छ, जिला - देवास

अनुसूची (2)

नहर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रणजीतसिंह पिता किशनसिंह, जाति बलाई, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	35	0.720	0.11	–	0.11
		38	0.300	0.15	–	0.15
2.	भूरीबाई बेवा फतेसिंह, जसरतसिंह बाबूलाल, धीरजसिंह विजेन्द्रसिंह पि. फतेसिंह भूमिस्वामी हि. भेरूसिंह, गजराजसिंह पिता धनसिंह, जाति सेन्धव, पता नि. ग्राम सम्भाग भाग भूमिस्वामी.	57	0.600	0.02	–	0.02
		68	0.340	0.04	–	0.04
		69	0.330	0.05	–	0.05
		70	0.450	0.06	–	0.06
3.	फूलसिंह पि. सुखराम, शेतानबाई वि. सुखराम, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	67	0.600	0.10	–	0.10
4.	करणसिंह पि. मंदरूपसिंह, जाति सेंधो, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	73	0.320	–	0.07	0.07
5.	जितेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता धनसिंह, एजनबाई बेवा धनसिंह, जाति सेंधो, पता नि. टप्पा सुकल्या, तह. बागली, भूमिस्वामी.	74/1	0.310	0.05	–	0.05
6.	देवेन्द्रसिंह पिता मनोहरसिंह न. स. मनोहरसिंह पिता फुलसिंह जाति सेंधव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	74/2	0.220	0.05	–	0.05
		75	1.380	0.11	–	0.11
7.	बेगनबाई पति विक्रमसिंह, जाति सेन्धव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	74/3	1.000	0.04	–	0.04
8.	मनोहरसिंह, सुमेरसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता फुलसिंह, घीसीबाई वि. फुलसिंह, जाति सेन्धव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	76	0.300	0.01	–	0.01
		77	0.990	0.11	–	0.11
9.	भीमसिंह पिता तकतसिंह, जाति सेन्धव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	84	1.160	0.01	–	0.01
10.	हमीर पि. कन्हैयालाल, जाति बलाई, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	100	0.200	–	0.07	0.07
11.	अजाब पिता नारायण मंजुबाई पति अजाब, जाति चमार, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	101/1	0.500	–	0.07	0.07
		कुल योग :	**9.72**	**0.91**	**0.21**	**1.05**

(प्रारंभिक अधिसूचना)

प्र. क्र. अ-82-2012-13-384.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में रामगढ़ तालाब योजना, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास की नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित

किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम - जस्सुपुरा, तहसील - सोनकच्छ

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निजी भूमि नहर निर्माण में.	0.81	0.05	0.86
	कुल योग :	**0.81**	**0.05**	**0.86**

रामगढ़ तालाब योजना

ग्राम - जस्सुपुरा, तहसील - हाटपिपल्या, तहसील - सोनकच्छ, जिला - देवास

अनुसूची (2)

नहर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा			प्रभावित भूमि		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सेवा पि. सोभा, जाति बलाई, पता नि. ग्राम चांदाखेड़ी, भूमिस्वामी भू-राजस्व.	30	3.12	–	3.12	0.26	–	0.26
2.	मोहन, धर्मेन्द्र पिता दलेपसिंह धापूबाई वि. दलेपसिंह दीपक पूजा पिता आत्माराम सर. सोरमबाई बेवा आत्माराम जाति बलाई, पता नि. ग्राम चांदाखेड़ी भूमिस्वामी ना.रा. 2, आदेश दि. 02-01-08 के अनुसार भू-राजस्व.	31	1.67	–	1.67	0.08	–	0.08
3.	प्रहलाद पिता बापूसिंह, जाति सेंधव, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	35	0.58	–	0.58	0.05	–	0.05
4.	छीतरबाई पति अकेसिंह, जाति सेन्धव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	38/1	0.90	–	0.90	0.06	–	0.06
		38/3	0.15	–	0.15	0.05	–	0.05
5.	तुफानसिंह पिता प्रहलादसिंह, जाति सेंधव, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	38/2	1.10	–	1.10	0.05	–	0.05
6.	रामकुंवरबाई पति कमलसिंह, जाति माली, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व.	38/4	–	0.50	0.50	–	0.05	0.05
7.	विजेन्द्रसिंह पि. नाथुराम, जाति कलमा, पता नि. ग्राम चांदाखेड़ी, भूमिस्वामी.	42	0.48	–	0.48	0.12	–	0.12
8.	अकेसिंह पिता बलवन्तसिंह, जाति सेन्धो, पता नि. ग्राम चांदाखेड़ी, भूमिस्वामी भू-राजस्व.	47	1.19	–	1.19	0.14	–	0.14
	कुल योग :		**9.19**	**0.50**	**9.69**	**0.81**	**0.05**	**0.86**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 591-10-पत्र क्र. 591-भू-अर्जन-8.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	जननातोर	0.200	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना म. प्र.	भिलसाय तालाब योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 25 जनवरी 2014

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	खिरहनी प.ह.नं. 13/41.	निजी रकबा 0.150 कुल 0.150	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कटनी.	खिरहनी उ. सि. योजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 6 मई 2014

रा. मा. प्र. क्र. 3 अ-82 वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 160-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 (1) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	तिंदनी नं. बं. 239 प.ह.नं. 23	0.829	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	तिंदनी से गौड़ीधुबघट मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 (भू-अर्जन) शाखा में देखा जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 9 मई 2014

रा. मा. प्र. क्र. 5 अ-82 वर्ष 2013-14-पत्र क्र. 172-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 (1) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिमरिया नं. बं. 566 प.ह.नं. 39.	1.430	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	इंद्रा नगर पहुंच मार्ग लंबाई 1.26 कि.मी. निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 (भू-अर्जन) शाखा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 9 मई 2014

प्र. क्र. 02-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है की राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	लखेरी (पूरक)	1.120	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर खजुराहों नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 20 मई 2014

प्र. क्र. 03-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बसारी (पूरक)	0.700	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर खजुराहों नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 23 मई 2014

प्र. क्र. 03-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	खैराही (पूरक)	1.05	भू-अर्जन अधिकारी,(राजस्व) लवकुशनगर.	लुधगांव वितरक नहर की पुखरया माइनर के निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 8 मई 2014

प्र. क्र. 099-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—जमडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.57 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
442	0.20	निजी भूमि
444/1	0.07	निजी भूमि
444/2	0.08	निजी भूमि
444/3	0.08	निजी भूमि
445/1	0.05	निजी भूमि
445/2	0.05	निजी भूमि
445/3	0.08	निजी भूमि
445/4	0.05	निजी भूमि
446/1	0.04	निजी भूमि
446/2	0.04	निजी भूमि
446/3	0.04	निजी भूमि
446/4	0.04	निजी भूमि
446/5	0.04	निजी भूमि
446/6	0.03	निजी भूमि
664	0.34	निजी भूमि
666	0.30	निजी भूमि
680	1.68	निजी भूमि
668	0.03	निजी भूमि
678/1	0.52	निजी भूमि
671	0.80	निजी भूमि
672/1	0.38	निजी भूमि
672/2	0.37	निजी भूमि
673/1	0.10	निजी भूमि
673/2	0.10	निजी भूमि
673/3	0.20	निजी भूमि
673/4	0.10	निजी भूमि
675	0.45	निजी भूमि
676	0.56	निजी भूमि
677	0.80	निजी भूमि
678/2	0.53	निजी भूमि
681	1.20	निजी भूमि
683	1.10	निजी भूमि
684/1	0.52	निजी भूमि
685/1	0.38	निजी भूमि
447	0.47	निजी भूमि
453	0.15	निजी भूमि
454	0.15	निजी भूमि
455	0.04	निजी भूमि
456	0.08	निजी भूमि
448	0.93	निजी भूमि
449	0.20	निजी भूमि
450	0.08	निजी भूमि
667	1.13	निजी भूमि
670	0.32	निजी भूमि
451	0.02	निजी भूमि
452	0.04	निजी भूमि
480	0.21	निजी भूमि
483	0.26	निजी भूमि
457	0.18	निजी भूमि
458	0.68	निजी भूमि
478	0.13	निजी भूमि
479	0.15	निजी भूमि
481	0.06	निजी भूमि
477	0.03	निजी भूमि
482	0.33	निजी भूमि
684/2	0.90	निजी भूमि
485/2	0.03	निजी भूमि
488/2	0.02	निजी भूमि
485/3	0.03	निजी भूमि
485/4	0.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
487/2	0.03	निजी भूमि
662	0.91	निजी भूमि
685/2	0.37	निजी भूमि
685/3	0.38	निजी भूमि
687	1.20	निजी भूमि
686	1.33	निजी भूमि
459	0.16	निजी भूमि
460	0.16	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	22.57	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जमडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 002-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—इटवांखास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—200.995 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
64/2	1.750	निजी भूमि
64/5	1.133	निजी भूमि
77/1	0.160	निजी भूमि
248/2	0.190	निजी भूमि
248/3	0.210	निजी भूमि
250	0.220	निजी भूमि
253/1	0.390	निजी भूमि
253/2	0.390	निजी भूमि
258/1	0.110	निजी भूमि
258	0.110	निजी भूमि
259	0.190	निजी भूमि
284	0.016	निजी भूमि
285	0.050	निजी भूमि
308/1	0.100	निजी भूमि
308/2	0.100	निजी भूमि
309	0.020	निजी भूमि
310	0.025	निजी भूमि
311/1	0.050	निजी भूमि
311/2	0.050	निजी भूमि
312	0.030	निजी भूमि
313	0.040	निजी भूमि
314	0.162	निजी भूमि
338	0.036	निजी भूमि
340	0.041	निजी भूमि
342	0.210	निजी भूमि
343	0.010	निजी भूमि
344	0.690	निजी भूमि
347	0.380	निजी भूमि
349	0.060	निजी भूमि
350	0.182	निजी भूमि
358/2	0.629	निजी भूमि
358/2/Ka	0.651	निजी भूमि
358/3	0.700	निजी भूमि
358/4	1.099	निजी भूमि
358/5	0.798	निजी भूमि
360	0.342	निजी भूमि
361	0.010	निजी भूमि
363	0.010	निजी भूमि
377/2/Ka	1.012	निजी भूमि
377/2/Kha	1.011	निजी भूमि
377/3	2.023	निजी भूमि
377/4/Ka	1.600	निजी भूमि
377/4/Kh	2.447	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
379/1	0.120	निजी भूमि	621/2	1.314	निजी भूमि
379/2	0.120	निजी भूमि	621/4	3.237	निजी भूमि
380	0.376	निजी भूमि	621/5/Ka	0.680	निजी भूमि
381	0.262	निजी भूमि	621/7	1.000	निजी भूमि
382	0.575	निजी भूमि	621/9	2.835	निजी भूमि
383	0.129	निजी भूमि	621/10	2.023	निजी भूमि
386	0.640	निजी भूमि	621/12/Ka	1.500	निजी भूमि
394	0.081	निजी भूमि	621/12/Kh	1.500	निजी भूमि
395	0.015	निजी भूमि	621/13/Ka	0.928	निजी भूमि
398	0.012	निजी भूमि	621/13/Kh	0.928	निजी भूमि
399	0.015	निजी भूमि	621/17	8.094	निजी भूमि
407	0.070	निजी भूमि	621/18	0.809	निजी भूमि
408	0.010	निजी भूमि	621/19/1/Ka	2.323	निजी भूमि
412	0.010	निजी भूमि	621/19/1/Kh	1.600	निजी भूमि
413	0.015	निजी भूमि	621/20	4.047	निजी भूमि
414	0.010	निजी भूमि	621/21	4.047	निजी भूमि
417	0.020	निजी भूमि	621/12/Ka	0.395	निजी भूमि
418	0.020	निजी भूमि	621/22/Kh	1.405	निजी भूमि
420	0.010	निजी भूमि	621/22/gh/1	0.786	निजी भूमि
447	0.200	निजी भूमि	621/22/gh/2	0.464	निजी भूमि
448	0.120	निजी भूमि	621/23	1.803	निजी भूमि
503	0.360	निजी भूमि	621/24	1.803	निजी भूमि
506/2	0.020	निजी भूमि	621/26	4.047	निजी भूमि
506/3	0.010	निजी भूमि	621/29	2.232	निजी भूमि
513	0.300	निजी भूमि	621/31	2.023	निजी भूमि
514/1	0.030	निजी भूमि	621/32	3.887	निजी भूमि
514/2	0.030	निजी भूमि	621/33/Ka	1.000	निजी भूमि
523/2	0.230	निजी भूमि	612/33/Kh	1.000	निजी भूमि
523/4	0.230	निजी भूमि	621/34/Ka	1.552	निजी भूमि
528/2/ga	0.040	निजी भूमि	621/34/Kh	1.626	निजी भूमि
549/2	0.700	निजी भूमि	621/34/ga	1.424	निजी भूमि
550/1	0.034	निजी भूमि	621/35/Ka	4.176	निजी भूमि
550/2Ka	0.035	निजी भूमि	621/35/Kh	0.300	निजी भूमि
610/24	0.160	निजी भूमि	621/36	0.854	निजी भूमि
613/12	1.303	निजी भूमि	621/37	1.416	निजी भूमि
613/13Ka	0.303	निजी भूमि	621/38	4.047	निजी भूमि
613/15	0.410	निजी भूमि	622	2.832	निजी भूमि
619/2	0.550	निजी भूमि	623/2	1.416	निजी भूमि
620	0.960	निजी भूमि	623/3	4.047	निजी भूमि
621/1	6.007	निजी भूमि	623/4	2.967	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
623/7	4.790	निजी भूमि
623/7/Ka	2.023	निजी भूमि
623/7/Kha	2.023	निजी भूमि
623/8	4.856	निजी भूमि
623/9	4.736	निजी भूमि
623/10	0.680	निजी भूमि
623/11	0.380	निजी भूमि
623/14	5.007	निजी भूमि
623/16/Ka	2.023	निजी भूमि
623/17	3.567	निजी भूमि
623/18	4.856	निजी भूमि
623/22	4.047	निजी भूमि
623/23	2.304	निजी भूमि
623/24	4.856	निजी भूमि
623/30	3.507	निजी भूमि
623/32	1.848	निजी भूमि
623/34	1.948	निजी भूमि
623/37	4.047	निजी भूमि
623/38	4.856	निजी भूमि
632/4	1.650	निजी भूमि
632/8	3.536	निजी भूमि
632/9	2.620	निजी भूमि
632/10	4.846	निजी भूमि
632/11	2.428	निजी भूमि
632/14	0.060	निजी भूमि
632/16	2.700	निजी भूमि
632/18	0.010	निजी भूमि
632/19	2.000	निजी भूमि
670/290	0.405	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	200.955	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिरस्वाहा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 040-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—बिलाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी पक्का कुआं है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
157	निजी पक्का कुआं	निजी कुआं
कुल रकबा निजी भूमि .	निजी पक्का कुआं	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुमानगंज तालाब योजना के अन्तर्गत निजी पक्का कुआं बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 23 मई 2014

प्र. क्र. 102-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—करौंदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.14 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
464	0.20	निजी भूमि
469	1.40	निजी भूमि
470	1.20	निजी भूमि
471/2	1.50	निजी भूमि
473	1.22	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
474	1.46	निजी भूमि
475	1.66	निजी भूमि
476	1.22	निजी भूमि
479	0.15	निजी भूमि
482	0.75	निजी भूमि
483	1.05	निजी भूमि
484	1.30	निजी भूमि
486	0.28	निजी भूमि
487/2	1.25	निजी भूमि
489	0.50	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	15.14	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—परासी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 121-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—75.507 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
178	0.220	निजी भूमि
179	0.310	निजी भूमि
184	0.080	निजी भूमि
185	0.050	निजी भूमि
186	0.120	निजी भूमि
187	0.060	निजी भूमि
180	0.190	निजी भूमि
181	0.150	निजी भूमि
174	0.217	निजी भूमि
182	0.130	निजी भूमि
183	0.180	निजी भूमि
171	0.170	निजी भूमि
172	0.110	निजी भूमि
173	0.108	निजी भूमि
188	0.940	निजी भूमि
189	0.500	निजी भूमि
190	0.570	निजी भूमि
191	0.370	निजी भूमि
192	0.040	निजी भूमि
193	0.160	निजी भूमि
194	0.060	निजी भूमि
195	0.060	निजी भूमि
196	0.060	निजी भूमि
149	0.160	निजी भूमि
150	0.200	निजी भूमि
151	0.110	निजी भूमि
152	0.130	निजी भूमि
153	0.080	निजी भूमि
154	0.060	निजी भूमि
155	0.150	निजी भूमि
156	0.120	निजी भूमि
197	0.070	निजी भूमि
201	0.070	निजी भूमि
202	0.100	निजी भूमि
208	0.110	निजी भूमि
198	0.140	निजी भूमि
199	0.160	निजी भूमि
200	0.130	निजी भूमि
138/2	0.100	निजी भूमि
157	0.440	निजी भूमि
158	0.210	निजी भूमि
159	0.400	निजी भूमि
210	0.150	निजी भूमि
212	0.520	निजी भूमि
213	0.450	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
214/1	0.360	निजी भूमि	493	0.150	निजी भूमि
217/1	0.240	निजी भूमि	500	0.120	निजी भूमि
214/2	0.500	निजी भूमि	504/1	0.870	निजी भूमि
215	1.230	निजी भूमि	476/2	0.190	निजी भूमि
216	0.170	निजी भूमि	498	0.120	निजी भूमि
320	0.150	निजी भूमि	499/2	0.220	निजी भूमि
217/2	0.150	निजी भूमि	517	0.750	निजी भूमि
241	0.070	निजी भूमि	501	0.180	निजी भूमि
242	1.010	निजी भूमि	476/1	0.200	निजी भूमि
219	0.850	निजी भूमि	502	0.640	निजी भूमि
220	0.210	निजी भूमि	503	0.080	निजी भूमि
221	0.110	निजी भूमि	423	0.190	निजी भूमि
222	0.080	निजी भूमि	428	0.080	निजी भूमि
223	0.090	निजी भूमि	429	0.070	निजी भूमि
224	0.050	निजी भूमि	459	0.070	निजी भूमि
225	0.060	निजी भूमि	460	0.160	निजी भूमि
226	0.050	निजी भूमि	465	0.090	निजी भूमि
227	0.160	निजी भूमि	475	0.340	निजी भूमि
228	0.320	निजी भूमि	504/2	0.680	निजी भूमि
235	0.100	निजी भूमि	499/1	0.210	निजी भूमि
494	0.120	निजी भूमि	505/2	1.000	निजी भूमि
495	0.110	निजी भूमि	507	0.290	निजी भूमि
229	0.170	निजी भूमि	508	0.170	निजी भूमि
230	0.130	निजी भूमि	591	0.050	निजी भूमि
231	0.050	निजी भूमि	611	0.090	निजी भूमि
232	0.060	निजी भूमि	612	0.100	निजी भूमि
233	0.060	निजी भूमि	614	0.070	निजी भूमि
234	0.030	निजी भूमि	615	0.070	निजी भूमि
236	0.210	निजी भूमि	616	0.070	निजी भूमि
237	0.150	निजी भूमि	409	0.370	निजी भूमि
238	0.050	निजी भूमि	410	0.060	निजी भूमि
239	0.060	निजी भूमि	414	0.040	निजी भूमि
240	0.170	निजी भूमि	510	0.680	निजी भूमि
487	0.100	निजी भूमि	511	0.650	निजी भूमि
488	0.120	निजी भूमि	512	0.100	निजी भूमि
489	0.110	निजी भूमि	438	0.800	निजी भूमि
490	0.150	निजी भूमि	513	1.340	निजी भूमि
491	0.100	निजी भूमि	601	0.260	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
602	0.100	निजी भूमि	461	0.130	निजी भूमि
603	0.080	निजी भूमि	462	0.070	निजी भूमि
604	0.120	निजी भूमि	463	0.050	निजी भूमि
605	0.140	निजी भूमि	464	0.160	निजी भूमि
652	0.400	निजी भूमि	617	0.310	निजी भूमि
653	1.050	निजी भूमि	619	0.150	निजी भूमि
654	0.260	निजी भूमि	620	0.380	निजी भूमि
669	0.590	निजी भूमि	609	0.120	निजी भूमि
514	0.420	निजी भूमि	610	0.140	निजी भूमि
515	0.470	निजी भूमि	637	0.020	निजी भूमि
518	0.910	निजी भूमि	645	0.100	निजी भूमि
519	0.460	निजी भूमि	618	0.510	निजी भूमि
606	0.050	निजी भूमि	621	0.330	निजी भूमि
607	0.270	निजी भूमि	622	0.120	निजी भूमि
608	0.120	निजी भूमि	623	0.110	निजी भूमि
613	0.130	निजी भूमि	624	0.090	निजी भूमि
520	0.240	निजी भूमि	625	0.620	निजी भूमि
521	0.450	निजी भूमि	626	0.110	निजी भूमि
522	0.090	निजी भूमि	627	0.090	निजी भूमि
523	0.080	निजी भूमि	628	0.290	निजी भूमि
524	0.040	निजी भूमि	629	0.090	निजी भूमि
525	0.240	निजी भूमि	630	0.120	निजी भूमि
526	0.070	निजी भूमि	638	0.120	निजी भूमि
527	0.049	निजी भूमि	639	0.070	निजी भूमि
528	0.039	निजी भूमि	640	0.110	निजी भूमि
593	0.018	निजी भूमि	641	0.150	निजी भूमि
594	0.016	निजी भूमि	642	0.150	निजी भूमि
596	0.020	निजी भूमि	643	0.270	निजी भूमि
597	0.100	निजी भूमि	644	0.150	निजी भूमि
598	0.060	निजी भूमि	646	0.120	निजी भूमि
599	0.200	निजी भूमि	647	0.100	निजी भूमि
321	0.160	निजी भूमि	648	0.060	निजी भूमि
322	0.080	निजी भूमि	649	0.050	निजी भूमि
323	0.090	निजी भूमि	650	0.060	निजी भूमि
466	0.080	निजी भूमि	651	0.070	निजी भूमि
600	0.140	निजी भूमि	679	0.060	निजी भूमि
426	0.040	निजी भूमि	680	0.060	निजी भूमि
427	0.060	निजी भूमि	681	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
682	0.110	निजी भूमि	740	0.090	निजी भूमि
683	0.070	निजी भूमि	741	0.040	निजी भूमि
684	0.130	निजी भूमि	761	0.080	निजी भूमि
685	0.100	निजी भूमि	762	0.140	निजी भूमि
694	0.080	निजी भूमि	763	0.080	निजी भूमि
695	0.090	निजी भूमि	764	0.080	निजी भूमि
655	0.170	निजी भूमि	772	0.060	निजी भूमि
656	0.160	निजी भूमि	784	0.050	निजी भूमि
657	0.350	निजी भूमि	661	0.610	निजी भूमि
658	0.330	निजी भूमि	384	0.180	निजी भूमि
714	0.018	निजी भूमि	385	0.160	निजी भूमि
715	0.055	निजी भूमि	386	0.240	निजी भूमि
701	0.130	निजी भूमि	662	0.280	निजी भूमि
702	0.110	निजी भूमि	663	1.500	निजी भूमि
703	0.070	निजी भूमि	665	0.650	निजी भूमि
704	0.095	निजी भूमि	666	0.100	निजी भूमि
716	0.065	निजी भूमि	667	0.310	निजी भूमि
717	0.100	निजी भूमि	668/1	0.400	निजी भूमि
718	0.090	निजी भूमि	668/2	0.730	निजी भूमि
719	0.060	निजी भूमि	670	0.030	निजी भूमि
720	0.050	निजी भूमि	671	0.030	निजी भूमि
721	0.050	निजी भूमि	672	0.040	निजी भूमि
722	0.040	निजी भूमि	673	0.100	निजी भूमि
723	0.050	निजी भूमि	674	0.110	निजी भूमि
676	0.080	निजी भूमि	675	0.040	निजी भूमि
677	0.060	निजी भूमि	686	0.100	निजी भूमि
742	0.060	निजी भूमि	689	0.070	निजी भूमि
743	0.050	निजी भूमि	690	0.070	निजी भूमि
744	0.080	निजी भूमि	693	0.050	निजी भूमि
745	0.060	निजी भूमि	736	3.450	निजी भूमि
746	0.080	निजी भूमि	748	0.050	निजी भूमि
747	0.050	निजी भूमि	758	0.060	निजी भूमि
760	0.080	निजी भूमि	759	0.090	निजी भूमि
789	0.050	निजी भूमि	765	0.070	निजी भूमि
792	0.030	निजी भूमि	766	0.060	निजी भूमि
793	0.070	निजी भूमि	767	0.040	निजी भूमि
794	0.030	निजी भूमि	768	0.080	निजी भूमि
697	0.030	निजी भूमि	749	0.050	निजी भूमि
700	0.005	निजी भूमि	750	0.010	निजी भूमि
724	0.020	निजी भूमि	751	0.050	निजी भूमि
790	0.070	निजी भूमि	752	0.080	निजी भूमि
791	0.080	निजी भूमि	753	0.070	निजी भूमि
738	0.160	निजी भूमि	754	0.050	निजी भूमि
739	0.060	निजी भूमि	755	0.030	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
756	0.040	निजी भूमि	401	0.090	निजी भूमि
757	0.080	निजी भूमि	411	0.120	निजी भूमि
769	0.060	निजी भूमि	412	0.070	निजी भूमि
770	0.030	निजी भूमि	413	0.040	निजी भूमि
785	0.060	निजी भूमि	415	0.100	निजी भूमि
786	0.030	निजी भूमि	416	0.110	निजी भूमि
787	0.030	निजी भूमि	417	0.160	निजी भूमि
788	0.030	निजी भूमि	432	0.070	निजी भूमि
795	0.040	निजी भूमि	433	0.080	निजी भूमि
796	0.040	निजी भूमि	434	0.070	निजी भूमि
797	0.060	निजी भूमि	435	0.070	निजी भूमि
798	0.100	निजी भूमि	436	0.190	निजी भूमि
799	0.030	निजी भूमि	437	0.610	निजी भूमि
800	0.060	निजी भूमि	443	0.070	निजी भूमि
801	0.040	निजी भूमि	444	0.110	निजी भूमि
802	0.040	निजी भूमि	430	0.080	निजी भूमि
803	0.040	निजी भूमि	431	0.080	निजी भूमि
813	0.350	निजी भूमि	439	0.260	निजी भूमि
815/1	0.150	निजी भूमि	440	0.150	निजी भूमि
833/1	0.120	निजी भूमि	441	0.070	निजी भूमि
815/2	0.230	निजी भूमि	442	0.040	निजी भूमि
834/1	0.012	निजी भूमि	445	0.060	निजी भूमि
317	0.200	निजी भूमि	446	0.050	निजी भूमि
318	0.370	निजी भूमि	447	0.100	निजी भूमि
319	0.520	निजी भूमि	448	0.110	निजी भूमि
324	0.170	निजी भूमि	449	0.060	निजी भूमि
325	0.140	निजी भूमि	450	0.070	निजी भूमि
326	0.350	निजी भूमि	474	0.570	निजी भूमि
424	0.060	निजी भूमि	341	0.210	निजी भूमि
425	0.050	निजी भूमि	342	0.090	निजी भूमि
332	0.190	निजी भूमि	451	0.140	निजी भूमि
333	0.110	निजी भूमि	452	0.080	निजी भूमि
327	0.200	निजी भूमि	453	0.050	निजी भूमि
328	0.090	निजी भूमि	454	0.050	निजी भूमि
329	0.100	निजी भूमि	455	0.040	निजी भूमि
330	0.060	निजी भूमि	456	0.090	निजी भूमि
331	0.120	निजी भूमि	457	0.070	निजी भूमि
400	0.110	निजी भूमि	458	0.090	निजी भूमि
418	0.180	निजी भूमि	467	0.100	निजी भूमि
420	0.100	निजी भूमि	468	0.120	निजी भूमि
421	0.080	निजी भूमि	469	0.070	निजी भूमि
422	0.090	निजी भूमि	470	0060	निजी भूमि
399	0.080	निजी भूमि	471	0.050	निजी भूमि
419	0.090	निजी भूमि	472	0.070	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
473	0.090	निजी भूमि
478	0.060	निजी भूमि
479	0.110	निजी भूमि
477	0.060	निजी भूमि
336	0.110	निजी भूमि
337	0.260	निजी भूमि
480	0.110	निजी भूमि
481	0.050	निजी भूमि
482	0.060	निजी भूमि
483	0.060	निजी भूमि
484	0.050	निजी भूमि
485	0.130	निजी भूमि
486	0.120	निजी भूमि
492	0.060	निजी भूमि
496	0.100	निजी भूमि
497	0.090	निजी भूमि
345	0.100	निजी भूमि
346	0.090	निजी भूमि
377	0.100	निजी भूमि
378	0.030	निजी भूमि
380	0.080	निजी भूमि
381	0.100	निजी भूमि
387	0.050	निजी भूमि
388	0.150	निजी भूमि
389	0.250	निजी भूमि
390	0.130	निजी भूमि
391	0.070	निजी भूमि
393	0.190	निजी भूमि
394	0.140	निजी भूमि
395	0.090	निजी भूमि
396	0.060	निजी भूमि
397	0.110	निजी भूमि
398	0.050	निजी भूमि
402	0.090	निजी भूमि
403	0.070	निजी भूमि
404	0.050	निजी भूमि
405	0.050	निजी भूमि
406	0.130	निजी भूमि
407	0.210	निजी भूमि
408	0.220	निजी भूमि
301	0.040	निजी भूमि
302	0.052	निजी भूमि
303	0.040	निजी भूमि
314	0.030	निजी भूमि
274	0.165	निजी भूमि
311	0.060	निजी भूमि
312	0.150	निजी भूमि
313	0.110	निजी भूमि
338	0.130	निजी भूमि
339	0.160	निजी भूमि
340	0.170	निजी भूमि
275	0.012	निजी भूमि
276	0.045	निजी भूमि
277	0.130	निजी भूमि
278	0.002	निजी भूमि
137	0.500	निजी भूमि
138/1	0.165	निजी भूमि
204	0.120	निजी भूमि
205	0.090	निजी भूमि
206	0.070	निजी भूमि
207	0.100	निजी भूमि
144	0.017	निजी भूमि
145	0.059	निजी भूमि
146	0.016	निजी भूमि
160	0.110	निजी भूमि
161	0.080	निजी भूमि
162	0.160	निजी भूमि
774	0.170	निजी भूमि
775	0.110	निजी भूमि
776	0.080	निजी भूमि
777	0.050	निजी भूमि
778	0.640	निजी भूमि
343	0.080	निजी भूमि
344	0.140	निजी भूमि
334	0.140	निजी भूमि
335	0.110	निजी भूमि
169	0.010	निजी भूमि
170	0.116	निजी भूमि
299	0.021	निजी भूमि
305	0.050	निजी भूमि
347	0.120	निजी भूमि
357	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	75.507	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खम्हरिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 122-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—अहिरगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.510 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
432	0.900	निजी भूमि
433	1.150	निजी भूमि
434	1.140	निजी भूमि
436	2.300	निजी भूमि
437	4.410	निजी भूमि
439/1	0.640	निजी भूमि
439/2	0.400	निजी भूमि
440	2.250	निजी भूमि
441/1	1.630	निजी भूमि
441/2	0.640	निजी भूमि
441/4	1.800	निजी भूमि
441/5	1.000	निजी भूमि
441/6	1.400	निजी भूमि
442	4.120	निजी भूमि
444/1	1.810	निजी भूमि
444/2	1.810	निजी भूमि
444/3	2.640	निजी भूमि
445	1.020	निजी भूमि
446	0.450	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	31.510	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 150-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—इटांय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
383	0.11	निजी भूमि
384	0.14	निजी भूमि
385	0.02	निजी भूमि
386	0.09	निजी भूमि
378	0.01	निजी भूमि
377	0.02	निजी भूमि
376	0.01	निजी भूमि
375	0.02	निजी भूमि
374	0.14	निजी भूमि
373	0.08	निजी भूमि
372	0.04	निजी भूमि
371	0.02	निजी भूमि
369	0.01	निजी भूमि
367	0.03	निजी भूमि
365	0.19	निजी भूमि
366	0.04	निजी भूमि
355	0.14	निजी भूमि
354	0.14	निजी भूमि
353	0.03	निजी भूमि
352	0.02	निजी भूमि
356	0.12	निजी भूमि
478	0.04	निजी भूमि
482	0.13	निजी भूमि
483	0.14	निजी भूमि
484	0.22	निजी भूमि
485	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
528	0.07	निजी भूमि
529	0.15	निजी भूमि
530	0.10	निजी भूमि
532	0.03	निजी भूमि
533	0.01	निजी भूमि
534	0.05	निजी भूमि
535	0.04	निजी भूमि
536	0.12	निजी भूमि
537	0.06	निजी भूमि
538	0.09	निजी भूमि
539	0.03	निजी भूमि
576	0.12	निजी भूमि
544	0.01	निजी भूमि
574	0.23	निजी भूमि
573	0.08	निजी भूमि
636	0.01	निजी भूमि
572	0.08	निजी भूमि
545	0.04	निजी भूमि
568	0.14	निजी भूमि
569	0.06	निजी भूमि
566	0.07	निजी भूमि
567	0.14	निजी भूमि
638	0.13	निजी भूमि
637	0.01	निजी भूमि
640	0.01	निजी भूमि
563	0.13	निजी भूमि
564	0.05	निजी भूमि
565	0.08	निजी भूमि
562	0.10	निजी भूमि
561	0.08	निजी भूमि
480	0.14	निजी भूमि
571	0.04	निजी भूमि
575	0.06	निजी भूमि
379	0.06	निजी भूमि
481	0.07	निजी भूमि
477	0.08	निजी भूमि
476	0.05	निजी भूमि
577	0.01	निजी भूमि
639	0.07	निजी भूमि
332/1	0.01	निजी भूमि
479	0.11	निजी भूमि
527	0.02	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	5.00	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 151-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—कृष्णगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.19 हेक्टयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
4434	0.08	निजी भूमि
4433	0.21	निजी भूमि
4463	0.15	निजी भूमि
4462	0.02	निजी भूमि
4464	0.09	निजी भूमि
4423	0.02	निजी भूमि
4465	0.33	निजी भूमि
4467	0.06	निजी भूमि
4470	0.24	निजी भूमि
4475	0.01	निजी भूमि
4469	0.29	निजी भूमि
4494/2	0.02	निजी भूमि
4496/1	0.01	निजी भूमि
4468	0.03	निजी भूमि
4700	0.11	निजी भूमि
4701/1	0.14	निजी भूमि
4701/2	0.16	निजी भूमि
4702	0.25	निजी भूमि
4488	0.08	निजी भूमि
4495/1	0.03	निजी भूमि
4490	0.12	निजी भूमि
4489	0.38	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
4696	0.34	निजी भूमि
4495	0.14	निजी भूमि
4697	0.17	निजी भूमि
3524	0.01	निजी भूमि
3519	0.02	निजी भूमि
3522	0.04	निजी भूमि
3521	0.01	निजी भूमि
3518	0.05	निजी भूमि
3526	0.02	निजी भूमि
3511	0.03	निजी भूमि
3535	0.09	निजी भूमि
3537/1	0.04	निजी भूमि
3536	0.20	निजी भूमि
3539/1	0.15	निजी भूमि
3539/2	0.04	निजी भूमि
3539/3	0.03	निजी भूमि
3538	0.06	निजी भूमि
3540	0.18	निजी भूमि
3533	0.02	निजी भूमि
3531/1	0.23	निजी भूमि
3532/1	0.12	निजी भूमि
3532/2	0.06	निजी भूमि
3530	0.04	निजी भूमि
3528	0.03	निजी भूमि
3523	0.13	निजी भूमि
3531/2	0.11	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	5.19	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 20 मई 2014

प्र. क्र. 20-अ-82-वर्ष 2012-2013-66.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गूना
(ग) नगर/ग्राम—बन्धा (भदौरा)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.543 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/3	0.126
2/4	0.293
3/2	0.700
3/3	0.700
3/4	0.565
3/5	0.700
3/6	0.700
3/7	0.700
3/8	0.700
3/9	0.523
11/2 मिन 1	0.627
11/2 मिन 2	0.627
11/3	1.045
11/4	0.784
11/1/4	0.199
11/6	3.574
11/8	5.006
11/9/1	1.045
11/9/2	4.180
17	0.230
18	0.209
31/मिन 2	0.366
32	0.491
36/1/2ख	1.453
योग . .	25.543

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—धानवाड़ी तालाब निर्माण लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व गुना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-वर्ष 2012-2013-67.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—गुना

(ग) नगर/ग्राम—राई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.049 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.010
9	2.111
10	0.397
12/1/1	0.178
12/1/5	0.979
12/1/7	0.597
12/1/8	0.470
12/1/9	1.000
12/1/18	1.000
12/1/19	1.000
12/1/20	0.199
12/1/21	0.815
12/1/22	0.199
12/1/23	1.000
12/1/24	0.608
12/1/25	1.000
12/1/26	1.000
12/1/27	1.000
12/1/28	0.293
12/1/29	0.273
12/1/30	0.230
12/3	3.135
12/4	1.601
12/5	0.105
12/7 मिन-2	0.512
14/9	0.397
14/10	0.303
14/18 मिन-1	1.463
14/18 मिन-2	0.418
14/198	2.257
16	0.178
17	0.042
22/1	0.042
22/2	0.073
22/3	0.052
22/4	0.073
22/5	0.052
23 मिन 1	0.005
योग . .	25.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—धानवाड़ी तालाब निर्माण लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व गुना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 21 मई 2014

प्र. क्र. 33-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—घिनौंची

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.331 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/1/1/2	0.107
31/2/क	0.056

(1)	(2)
32	0.108
26/1/2	0.160
26/2/1/1	0.081
26/2/2	0.081
46/1	0.054
66	0.036
67/1	0.216
81	0.137
82/2	0.072
79	0.025
185/3	0.180
2/1	0.180
2/2	0.108
3	0.054
100/3/2	0.064
100/2	0.039
100/3/1	0.072
99	0.094
107/1/1	0.072
106	0.094
117/1/2	0.033
177/1/1	0.010
117/2/1	0.090
118/3/1	0.108
योग . .	2.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर नागौर नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना वाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—मूड़रा पीताम्बरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.692 हेक्येयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.225
2/2	0.185
2/3	0.163
2/4	0.057
4/1	0.185
4/6	0.032
5/5	0.063
55/1	0.186
2/5	0.056
2/6	0.067
9	0.090
8	0.144
18/2	0.040
5/3/2	0.045
19/1	0.036
19/2	0.112
20	0.007
55/3/4	0.229
56/1/1	0.185
18/1	0.068
57/2/3	0.097
56/1/2	0.062
56/2	0.041
57/1	0.065
50	0.108
58/2	0.144
योग . .	2.692

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर नागौर नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना वाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—नौराजखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.405 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/1	0.075
26/4	0.075
26/5/1 ख	0.075
26/5/3	0.078
13	0.090
169	0.012
योग . .	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर नागौर नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 39-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—रायपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.301 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
29/1	0.110
29/2	0.137
30/1	0.120
30/2	0.033
5	0.180
6	0.032
7	0.230
8	0.100
13	0.130
14	0.172
16	0.235
17	0.195
18	0.110
19/2/2	0.085
20/3	0.011
20/4	0.072
22/1	0.150
22/2/1	0.033
22/2/2	0.035
22/2/3	0.052
4/1	0.007
22/2/4	0.016
23/1	0.045
23/2	0.107
24/1	0.008
24/2	0.004
108/1/2	0.106
113/1	0.016
113/2	0.060
114	0.137
19/2/3	0.032
147	0.136
20/1	0.012
4/3	0.020
19/1	0.015
19/2/1	0.152
3	0.027
117/2	0.126
2	0.053
योग . .	3.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर नागौर नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 40-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—रतनपुर चक्क
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.348 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/1	0.132
111/2	0.300
112/2	0.035
112/3	0.083
112/4	0.050
93/1	0.172
93/2	0.350
94/1/2/2	0.190
95/1	0.075
95/2	0.063
110/3	0.065
110/2	0.002
110/1	0.011
104/1	0.135
104/2	0.035
77/2	0.020
77/4	0.020
77/1	0.012
110/4	0.033
111/3	0.005
109	0.017
78	0.042
60	0.032
58/1/2/1	0.024
58/4	0.112
10/9	0.132
11	0.130
12/1/2	0.032
110/5	0.032
92/2	0.190
91/1	0.045
88	0.194
43	0.140
42	0.011
40/3	0.225
40/2/1	0.037
77/3	0.015
58/1/1	0.070
10/6	0.035
113	0.045
योग . .	3.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर नागौर नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 21 मई 2014

क्र. 395-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—सरई
(ग) ग्राम—साजापानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.56 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1894	1.16
1893	0.28
1891	2.06
1902	1.20
1903	0.09
1905	0.70
1906	0.12
1901	0.15
1909	0.90
1911	0.81
1912	1.21
1934	1.00
1930	0.70
1932	0.05
1931	0.17
1928	0.32
1926	0.14
1925	0.24
1924	0.04
1922	0.52
1917	0.80
1918	0.05
1899	0.40
1896	0.01
2672	0.40
2666	0.08
2660	0.22
2647	0.24
(1)	(2)
2648	0.08
2649	0.01
2681	0.22
2677	0.32
2010	0.03
1978	0.19
1977	0.43
1975	0.69
1966	0.13
1962	0.51
1963	0.30
1958	0.35
1961	0.86
1944	0.14
1862	0.08
1818	0.08
1820	0.10
1844	0.01
1420	0.04
1187	0.17
1189	0.01
1190	0.01
1196	0.01
1195	0.06
1199	0.04
1200	0.05
1201	0.01
1183	0.02
885	0.05
893	0.02
896	0.01
867	0.01
897	0.01
898	0.04
851	0.01
850	0.01
849	0.01
848	0.01
846	0.01
843	0.01
827	0.01

(1)	(2)
844	0.01
781	0.01
782	0.01
771	0.01
755	0.01
756	0.01
757	0.01
784	0.01
1959	0.40
729	0.01
728	0.01
727	0.01
1747	0.04
1748	0.02
1749	0.02
1742	0.02
1741	0.02
1740	0.02
1735	0.01
1764	0.08
1771	0.02
1775	0.06
1784	0.02
1783	0.01
1551	0.06
1552	0.07
1563	0.03
1566	0.07
1567	0.08
1501	0.01
1503	0.05
2652	0.12
योग . .	20.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये—साजापानी बांध की डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 397-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—सरई

(ग) ग्राम—घांधी टोला, प.ह.नं. साजापानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
93	0.03
95	0.06
96	0.04
97	0.08
152	0.07
160	0.08
161	0.01
165	0.04
166	0.02
167	0.01
योग . .	0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये—साजापानी बांध के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 23 मई 2014

क्र. -भू-अर्जन-प्र.क्र. I-II-भू-अर्जन-2014-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—बल्देवगढ़
(ग) नगर/ग्राम—मझगुवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.411 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78 अ	0.154
77	0.073
76 अ	0.182
63 अ	0.841
59 अ	1.408
59 स	0.170
79	0.089
13/1	0.684
13/2	0.684
13/3	0.684
13/4	0.684
15	0.061
16	0.061
17	0.093
18	0.543
योग . .	6.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—जरूवा तालाब के वेस्ट वियर निर्माण (अतिरिक्त).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देबगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई 2014

प्र. क्र. 2-3-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) ग्राम—बीरसागर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.570 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	1.028
13/1116	0.400
25	0.290
28	0.890
51/1ख	0.414
51/1क	0.413
51/4	0.276
44	0.785
61	0.435
62	0.665
80	0.565
98	0.409
योग . .	6.570

(2) मडवाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का परीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2014

क्र. ष्ट-1963-दो-3-14-2005.—श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 07 से 11 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 अप्रैल 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 12, 13 एवं 14 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1970-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को दिनांक 07 से 09 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1972-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 28 फरवरी 2014 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1974-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 09 से 19 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 08 अप्रैल 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल, 2014

क्र. 543-गोपनीय-2014-दो-3-1-2014 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.	बाहरवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर की हैसियत से श्री सुजीत कुमार सिंह के स्थान पर.
2	श्री सुजीत कुमार सिंह, बाहरवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर की हैसियत से श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, 8th May 2014

No. D-3024-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Krishna Paraste, Presiding Officer of the court of IInd ASJ, Umaria for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter, Umaria.

By order of the High court,
S. S. RAGHUVANSHI, Registrar (DE).

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2014

क्र. B-1831-दो-14-29-86.—श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 13 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 मई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1978-दो-3-53-2005.—श्री कपिल मेहता, ओ. एस. डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 02 से 03 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान का जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, ओ. एस. डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2014

क्र. 617-गोपनीय-2014-दो-3-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री मसूद अरशद खान	महू	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

क्र. 618–गोपनीय–2014–दो–3–1–2014 (भाग–ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री विवेक शिवहरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजगढ़ को, उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, राजगढ़ की हैसियत से स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है. तद्नुसार वे अपने अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन करें.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री विवेक शिवहरे को राजगढ़ जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है.

टिप्पणी:—

1. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 591/गोपनीय/2014/दो–3–1/2014 (भाग–ए), दिनांक 29–04–2014, जहां तक इसका संबंध श्री मसूद अरशद खान,, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, महू जिला इंदौर का, महू से, मण्डला स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 591/गोपनीय/2014/दो–3–1/2014 (भाग–ए), दिनांक 29–04–2014, जहां तक इसका संबंध श्री गंगाचरण दुबे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खण्डवा का, खण्डवा से राजगढ़ स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, वे अपनी वर्तमान पदस्थापना पर कार्य करते रहेंगे.

3. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 591/गोपनीय/2014/दो–3–1/2014 (भाग–ए), दिनांक 29–04–2014, जहां तक इसका संबंध श्री विकास चन्द्र मिश्र, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जबलपुर का, जबलपुर से मंदसौर स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है, वे अपनी वर्तमान पदस्थापना पर कार्य करते रहेंगे.

4. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 462/गोपनीय/2014/दो–3–1/2014 (भाग–ए), दिनांक 02–04–2014 एवं क्रमांक 488/गोपनीय/2014/दो–3–1/2014 (भाग–ए), दिनांक 05 अप्रैल 2014 के तारतम्य में, श्री हरप्रसाद बंशकार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 मण्डला, उनके वर्तमान कार्य के साथ–साथ, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मण्डला की हैसियत से स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन करते रहेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.